

पीठासीन अधिकारी

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

1- श्रीमति राधादेवी पत्नी बंशीलाल शर्मा निवासी बलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा

--वादी

बनाम

1- श्रीमति कैलाशी देवी पत्नी राधेश्याम शर्मा निवासी बलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा

2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

--प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टि0एक्ट

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 35/2019 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक 19.08.2020

वादी की ओर से श्री श्रवण कुमार सैन उपस्थित व प्रतिवादी के -- में इस वाद के आज दिनांक 19.8.2020 को धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि - और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रुपये की राशि आज दिनांक से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत -- को दी जावे।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।


1-वादी:-राधादेवी पत्नी बंशीलाल शर्मा निवासी बलिया खेडा, तहसील व जिला-भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
1226/2	001.18	-
किता 1	रकबा 001.18 बीघा	-

2-प्रतिवादी:-सं.01कैलाशीदेवी पत्नी राधेश्याम शर्मा निवासी बलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
1226	0.17.02	-
किता 01	रकबा 0.17.02 बीघा	-

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार दर्ज की जावे। खर्चा फरीकेन अपना वहन करे। आज दिनांक 19.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर ओर न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
(धायगुडे स्नेहल नाना)  
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

**सहायक कलक्टर**  
**भीलवाडा**